

-:: आ दे श ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली- 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अगस्त, 2026 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं० 01	सैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1	न्यायालय कक्ष (अध्यक्ष) पीठ-1 लखनऊ न्यायालय कक्ष (अध्यक्ष)	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दि० 03.08.2026 से 05.08.2026 दि० 10.08.2026 से 12.08.2026 दि० 17.08.2026 से 19.08.2026	अध्यक्ष, वाणिज्यकर अधिकरण सदस्य, पीठ -2 लखनऊ सदस्य, पीठ -1 लखनऊ सदस्य, पीठ -2 लखनऊ अध्यक्ष, वाणिज्यकर अधिकरण सदस्य, पीठ -3, लखनऊ
2	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर।	दि० 17.08.2026 से 19.08.2026	सदस्य, पीठ-1 लखनऊ सदस्य, पीठ-2 कानपुर
3	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा।	दि० 03.08.2026 से 05.08.2026 दि० 17.08.2026 से 19.08.2026	सदस्य, पीठ-1 नोएडा सदस्य, पीठ-2 नोएडा सदस्य, पीठ-1 नोएडा सदस्य, पीठ-2 नोएडा
4	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद।	दि० 03.08.2026 से 05.08.2026 दि० 17.08.2026 से 19.08.2026	सदस्य, पीठ-1 गाजियाबाद सदस्य, पीठ-2 गाजियाबाद सदस्य, पीठ-1 गाजियाबाद सदस्य, पीठ-2 गाजियाबाद
5	पीठ-1, वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी	दि० 03.08.2026 से 05.08.2026 दि० 20.08.2026 से 22.08.2026	सदस्य, पीठ-1, वाराणसी सदस्य, पीठ-4 कानपुर सदस्य, पीठ-1 वाराणसी सदस्य, पीठ -5 वाराणसी
6	पीठ आगरा	पीठ 1 व 2 आगरा	दि० 10.08.2026 से 12.08.2026	सदस्य, पीठ बरेली सदस्य, पीठ-2, आगरा
7	पीठ-1, मेरठ	पीठ - 1 व 2 मेरठ	दि० 13.08.2026 से 14.08.2026	सदस्य, पीठ बरेली सदस्य, पीठ-2 मेरठ
3	पीठ मुरादाबाद	पीठ मुरादाबाद	दि० 17.08.2026 से 18.08.2026	सदस्य, पीठ बरेली ✓ सदस्य, पीठ मुरादाबाद
3	पीठ मुजफ्फरनगर	पीठ मुजफ्फरनगर	दि० 05.08.2026 से 07.08.2026	सदस्य, पीठ बरेली सदस्य, पीठ-3 कानपुर
10	पीठ प्रयागराज	पीठ 1 व 2 प्रयागराज	दि० 24.08.2026 से 25.08.2026	सदस्य, पीठ-1 वाराणसी सदस्य, पीठ- 2, प्रयागराज
1	पीठ अयोध्या	पीठ अयोध्या	दि० 10.08.2026 से 12.08.2026	सदस्य, पीठ-1 वाराणसी सदस्य, पीठ-4, कानपुर

Sd/-09.07.2026

(रमेश चन्द)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 2- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- निजी सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक यात्रा भत्ता/विवरण/वेव अधिकारी कम्प्यूटर मुख्यालय/नाजिर, मुख्यालय।
- 6- सम्बन्धित समस्त सदस्य उक्त युगलपीठ गठन का संज्ञान अपने स्तर से राज्य प्रतिनिधि कार्यालयों को भी अवगत कराए।
- 7- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।


निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।